न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 106/2020 (RCMS : 2020/ 00280) अनवान 1. महेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह पुत्र मान सिह जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह पुत्र मान सिंह बावरी निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2. **राजस्थान सरकार** जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.09.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दुर्गा प्रसाद उपस्थित नहीं है। पत्रावली आज एडमिशन बहस हेतु नियत थी।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी महेन्द्र सिंह बनाम महेन्द्र सिंह अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 88 व 92ए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठीसन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:08 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर